माल और सेवा कर (जीएसटी)

1. लाभ

1. माल और सेवा कर (जीएसटी) पूरे देश के लिए लाभदायक व्यवस्था है। इससे अर्थव्यवस्था के सभी हितधारकों, सरकार और उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इससे वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत में कमी आएगी। अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा और भारतीय वस्तुएँ एवं सेवाएँ वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेंगी। जीएसटी का लक्ष्य कर दरों और प्रक्रियाओं में समरूपता लाकर और आर्थिक बाधाओं को हटाकर भारत को एक साझा राष्ट्रीय बाजार बनाना है जिससे राष्ट्रीय स्तर पर एक एकीकृत अर्थव्यवस्था का पथ प्रशस्त हो सके। अधिकांश केन्द्रीय एवं राज्यिक अप्रत्यक्ष करों को एकल कर में समाहित करके एवं समूचे वैल्यू–चेन में पूर्व–चरण के प्रदाय (सप्लाई) में भुगतान किये गए करों के समंजन से व्यवसायों में प्रपत्तन (कैस्केडिंग–यानि कर पर कर का लगना) के दुष्प्रभाव कम होंगे, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और चल निधि (लिक्विडिटी) में सुधार होगा। जीएसटी एक गंतव्य–आधारित कर है। यह बहु–स्तरीय संग्रहण विधि का अनुसरण करता है। इसमें प्रदाय (सप्लाई) के हर स्तर पर कर का भुगतान होगा और पिछले स्तर पर चुकाए गए कर का क्रेडिट प्रदाय के अगले स्तर पर समंजन (सैट–ऑफ) के लिए उपलब्ध होगा। इससे कर भार अंतिम उपभोक्ता की ओर स्थानांतरित होता है और उद्योगों को बेहतर नकदी प्रवाह और

बेहतर कार्यशील पूंजी प्रबंधन से लाभ होता है।

2. जीएसटी मुख्यतः प्रौद्योगिकी संचालित है। इससे मानवीय हस्तक्षेप बहुत हद तक कम हो जायेगा और जिससे निर्णयों में तेजी आएगी।

3. माल और सेवा कर से भारत में उत्पादित वस्तुऐं एवं सेवाएँ भारत के साथ–साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनेंगी और इससे भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहल "मेक इन इंडिया" को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा सभी आयातित वस्तुओं पर एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) आरोपित किया जाएगा जो कि केन्द्रीय जीएसटी + राज्य जीएसटी के समतुल्य होगा। इससे आयातित उत्पादों और स्थानीय उत्पादों पर कराधान में समता आएगी।

4. वर्तमान व्यवस्था के विपरीत, जहां केन्द्र और राज्यों के बीच अप्रत्यक्ष करों की विखंडित प्रकृति के कारण कुछ करों का प्रतिदाय (रिफंड) नहीं हो पाता है, जीएसटी व्यवस्था के अधीन निर्यात पर पूर्ण रूप से संगृहीत कर का प्रतिदाय होगा। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और तदैव भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार होगा। साफ ट्रैक रिकॉर्ड वाले निर्यातकों को निर्यात से संबंधित दावों का सात दिनों के भीतर 90% प्रतिदाय (रिफंड) कर प्रोत्साहित किया जाएगा।

5. माल और सेवा कर के कारण कराधार बढ़ने और कर अनुपालन में सुधार होने से सरकारी राजस्व में वृद्धि आने का अनुमान है। जीएसटी के कारण भारत के 'व्यवसाय करने की सुगमता' इंडेक्स (ईज ऑफ डुईंग बिजनेस) की श्रेणीक्रम (रैंकिंग) में सुधार आने की संभावना है और सकल घरेलू उत्पाद में 1.5% से 2% तक वृद्धि होने का अनुमान है।

6. माल और सेवा कर से अप्रत्यक्ष कर कानूनों में और अधिक

पारदर्शिता आएगी। चूँकि समूची प्रदाय श्रृंखला (सप्लाई चेन) के प्रत्येक स्तर पर कर लगेगा और जिसके साथ पिछले स्तर पर चुकाए गए करों का प्रत्यय (क्रेडिट) प्रदाय के अगले स्तर पर समंजन (सैट–ऑफ) के लिए उपलब्ध होगा, प्रदाय के अर्थतंत्र और कर वैल्यू का सुगमता से आकलन किया जा सकेगा । इससे उद्योगों को क्रेडिट लेने में और सरकार को चुकाए गए करों की सत्यता को जाँचने एवं उपभोक्ता को चुकाए गए कर की सही राशि जानने में सहायता मिलेगी।

7. करदाताओं को केन्द्र और राज्य सरकारों के अनेक अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट, केंद्रीय बिक्री कर, चुंगी, प्रवेश कर, लक्जरी कर, मनोरंजन कर, आदि का अभिलेख (रेकॉर्ड) रखने और अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। उनको सभी राज्यान्तर्गत प्रदायों के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम तथा राज्य (अथवा संघ राज्यक्षेत्र) माल और सेवा कर अधिनियम (जिनके लगभग समरूप कानून हैं) और सभी अन्तरराज्यिक प्रदायों के लिए एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम (जिनकी अधिकांश मूल विशेषताएँ भी सीजीएसटी और एसजीएसटी अधिनियम से व्युतपन्न हैं) के संबंध में केवल केवल रेकॉर्ड रखने तथा अनुपालन दर्शाने की आवश्यकता है।

2. जीएसटी की मुख्य विशेषताएं

माल और सेवा कर की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:–

(i) वस्तुओं के निर्माण अथवा बिक्री पर या सेवाओं के प्रावधान पर देय मौजूदा कराधानों की तुलना में माल और सेवा कर वस्तुओं अथवा सेवाओं के प्रदाय (सप्लाई) पर लागू होगा। यह एक गंतव्य–आधारित उपभोग कर होगा। जहाँ वस्तु एवं सेवा का उपभोग होगा, उसी राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र को यह कर उपार्जित होगा। यह एक दोहरा कर होगा

जिसमें केन्द्र और राज्य दोनों एक साथ समान कर आधार पर कर उद्ग्रहण एवं संग्रहण करेंगे। वस्तुओं अथवा सेवाओं के राज्यान्तर्गत प्रदायों पर केंद्र द्वारा वसूला जाने वाला जीएसटी केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) और राज्यों तथा विधान मंडल वाले संघ राज्यक्षेत्रों/बिना विधान मंडल वाले संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा वसूला जाने वाला माल और सेवा कर क्रमशः राज्य जीएसटी (एसजीएसटी)/संघ राज्यक्षेत्र जीएसटी (यूटीजीएसटी) कहलाएगा।

(ii) मानवीय उपभोग हेतु एल्कोहलिक लिकर एवं पांच पेट्रोलियम उत्पादों, यथा अपरिष्कृत पेट्रोलियम (पेट्रोलियम क्रूड), मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), उच्च गति डीजल (हाई स्पीड डीजल), प्राकृतिक गैस (नेचुरल गैस) एवं विमानन टरबाइन ईंधन (एविएशन टर्बाईन फ्यूल) के अलावा सभी वस्तुओं पर माल और सेवा कर लागू होगा। यह कर कुछ सेवाओं, जिन्हें विनिर्दिष्ट किया जाना है, को छोड़कर सभी सेवाओं पर लागू होगा। केन्द्र द्वारा वर्तमान में उद्ग्रहीत एवं एकत्र किए जाने वाले निम्नलिखित करों की जगह माल और सेवा कर लगेगा:–

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क;

(2) उत्पाद शुल्क ड्यूटी (औषधीय और प्रसाधन निर्मितियाँ);

(3) उत्पाद शुल्क की अतिरिक्त ड्यूटी (विशेष महत्व की वस्तुएँ);

(4) उत्पाद शुल्क की अतिरिक्त ड्यूटी (टेक्सटाइल एवं टेक्सटाइल उत्पाद);

(5) सीमा शुल्क की अतिरिक्त ड्यूटी (सामान्यतः सीवीडी के रूप में जाना जाता है);

(6) सीमा शुल्क की विशेष अतिरिक्त ड्यूटी (एसएडी);

(7) सेवा कर;

(8) केन्द्रीय प्रभार एवं उपकर, जहाँ तक ये वस्तुओं की आपूर्ति एवं सेवाओं से संबंधित हैं।

(iii) राज्य कर जिनको माल और सेवा कर में सम्मिलित किया जाएगाः–

(1) राज्य वैट;

(2) केन्द्रीय बिक्री कर;

(3) लक्जरी कर;

(4) एंट्री कर (सभी प्रकार के);

(5) मनोरंजन एवं आमोद–प्रमोद कर (सिवाय जब यह कर स्थानीय निकायों द्वारा वसूला जाता हो);

(6) विज्ञापनों पर कर;

(7) क्रय कर;

(8) लॉटरी, सट्टेबाजी एवं जुए पर कर;

(9) राज्य प्रभार एवं उपकर, जहाँ तक वे वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रदाय से संबंधित हैं।

(iv) छूट प्राप्त वस्तुओं एवं सेवाओं की सूची केन्द्र एवं राज्यों के लिए समान होगी।

(v) शुरुआती (थ्रेशहोल्ड) छूटः एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये तक के संकलित आवर्त (कुल टर्नओवर) वाले करदाता को कर से छूट मिलेगी। कुल टर्नओवर की गणना अखिल भारतीय स्तर पर होगी। ग्यारह (11) विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों, जो पूर्वोत्तर में हैं या पहाड़ी राज्य हैं, के लिए शुरुआती छूट 10 लाख रूपये होगी। शुरुआती छूट के पात्र करदाताओं के पास इनपुट कर प्रत्यय (क्रेडिट) लाभ के साथ कर भुगतान

करने का विकल्प होगा। करदाता जो अन्तरराज्यिक प्रदाय करते हैं अथवा रिवर्स चार्ज आधार पर कर का भुगतान करते हैं वे शुरुआती छूट के पात्र नहीं होंगे।

(vi) **कम्पोजिशन (सम्मिश्रण उदग्रहण) योजना**

एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रूपये तक संकलित आवर्त (कुल टर्नओवर) के छोटे करदाता कम्पोजिशन योजना (सम्मिश्रण उदग्रहण) हेतु पात्र होंगे। ऐसा करदाता इस योजना के अधीन इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) लाभ लिए बिना वर्ष के दौरान अपनी टर्नओवर के विनिर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर कर का भुगतान करेगा। सीजीएसटी एवं एसजीएसटी/यूटीजीएसटी, प्रत्येक के लिए कर की दर निम्नलिखित से ज्यादा नहीं होगी:–

- रेस्टोरेंट आदि के मामले में 2.5% ।
- विनिर्माता के मामले में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र मे टर्नओवर का 1% ।
- अन्य प्रदायों के मामले में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र मे टर्नओवर का 0.5% ।

कम्पोजिशन योजना (सम्मिश्रण उदग्रहण) को चुनने वाले करदाता अपने उपभोक्ताओं से कोई कर नहीं लेंगे न ही वे किसी इनपुट कर प्रत्यय का दावा करने के हकदार होगें। कम्पोजिशन (सम्मिश्रण उदग्रहण) योजना वैकल्पिक है। अन्तरराज्यिक प्रदाय करने वाले करदाता कम्पोजिशन (सम्मिश्रण उद्ग्रहण) योजना के हकदार नहीं होंगे। जीएसटी कॉउंसिल (परिषद्) की संस्तुति पर सरकार योजना के लिए छूट की सीमा को एक करोड़ रूपये तक बढ़ा सकती है।

(vii) वस्तुओं एवं सेवाओं की अन्तरराज्यिक प्रदायों पर केन्द्र द्वारा एकीकृत माल और सेवा कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण किया

जाएगा। केन्द्र एवं राज्यों के बीच आवधिक रूप से अकाउंटस का निपटान यह सुनिश्चित करने हेतु किया जाएगा कि आईजीएसटी का एसजीएसटी/यूटीजीएसटी हिस्सा उस गंतव्य राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को स्थानांतरित हो जाए जहाँ वस्तुओं एवं सेवाओं का अन्ततः उपयोग किया गया।

(viii) इनपुट कर प्रत्यय (क्रेडिट) का उपयोग

इनपुट पर भुगतान किए गए करों का इनपुट कर प्रत्यय (क्रेडिट) लेने की अनुमति करदाता को होगी एवं वे आउटपुट टैक्स के भुगतान हेतु इसका उपयोग करेंगे। तथापि सीजीएसटी के अकाउंट पर लिए गए किसी इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के भुगतान के लिए एवं इसके विलोमतः (वाइस–वर्सा) नहीं होगा। आईजीएसटी क्रेडिट का उपयोग क्रमशः आईजीएसटी, सीजीएसटी एवं एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के भुगतान हेतु करने की अनुमति होगी।

(ix) एच एस एन (हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर) कोड का उपयोग माल और सेवा कर व्यवस्था के अधीन वस्तुओं के वर्गीकरण हेतु किया जाएगा। ऐसे करदाता जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रूपये से ऊपर है परंतु 5 करोड़ रूपये से कम है, 2–डिजिट कोड का इस्तेमाल करेंगे एवं करदाता जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रूपये या उससे ऊपर है, 4–डिजिट कोड का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे करदाता, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रूपये से नीचे है, से अपने बीजक (इन्वायस) मे एचएसएन का उल्लेख करना अपेक्षित नहीं होगा।

(x) एसईजेड को किए गए निर्यात एवं प्रदाय को जीरो रेटेड प्रदाय माना जाएगा। निर्यातक के पास विकल्प रहेगा कि या तो वह आउटपुट पर कर का भुगतान करे एवं इसके प्रतिदाय (रिफंड) का दावा करे या बिना कर भुगतान के बांड के अधीन निर्यात करे एवं इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का दावा करे।

(xi) वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात को अन्तरराज्यिक प्रदाय माना जाएगा एवं आयात पर लागू सीमा शुल्क के अतिरिक्त आईजीएसटी लगेगा। भुगतान किया गया आईजीएसटी आगामी प्रदाय पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में उपलब्ध रहेगा।

3. जीएसटी परिषद्

जीएसटी परिषद् (जीएसटी काउंसिल) की व्यवस्था, केन्द्र एवं राज्यों के साथ–साथ राज्यों के बीच जीएसटी के विभिन्न पहलुओं पर संगतिकरण सुनिश्चित करेगी। यह विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि जीएसटी परिषद् अपने विभिन्न कार्यों के निर्वहन में जीएसटी के सामंजस्यपूर्ण संरचना के सृजन की आवश्यकता तथा वस्तुओं एवं सेवाओं हेतु सुव्यवस्थित राष्ट्रीय बाजार के विकास के लक्ष्यों द्वारा मार्गदर्शित होगी। जीएसटी कॉउंसिल अपने द्वारा की गई संस्तुतियों या इनके क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाले विवादों के अधिनिर्णयन हेतु एक तंत्र स्थापित करेगी।

4. न्यूनतम इंटरफेस

जीएसटी के अंतगर्त करदाताओं तथा कर अधिकारियों के बीच न्यूनतम फिजिकल इंटरफेस की जरुरत होगी। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं:–

(क) केन्द्र एवं राज्य सरकारों से संबधित अधिकारियों का परस्पर सशक्तिकरण (क्रास–एम्पावरमेंट) होगा। सीजीएसटी के अधिकारी को एसजीएसटी के अधिकारी के रूप में एवं विलोमतः (वाइस–वर्सा) कार्य करने हेतु अधिकार दिया जायेगा।

(ख) पंजीकरण ऑनलाइन दिया जाएगा एवं करदाता को पंजीकृत मान लिया जाएगा, यदि कर प्रशासन द्वारा, जिन्हें आवेदन की जाँच आवंटित की गई है, 3 सामान्य कार्य दिवसों के

अंदर आवेदक को कोई कमी सूचित नहीं की जाती है। ऐसा आवंटन केन्द्र एवं राज्य कर प्रशासन के बीच बारी–बारी से किया जाना है।

(ग) हर करदाता स्वयं अपने देय दर का मूल्यांकन (स्व–निर्धारण) करेगा एवं इसे सरकार के खाते में जमा कराएगा। करदाता द्वारा फाइल की गई विवरणी (रिटर्न) को स्व–निर्धारण माना जाएगा।

(घ) कर का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इंटरनेट बैंकिंग अथवा क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आर.टी.जी.एस.) अथवा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (नेफ्ट) के द्वारा किया जाएगा। छोटे करदाताओं को बैंक के काउंटर पर कर का भुगतान करने की अनुमति होगी। कर भुगतान के लिए सभी चालान गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (जी.एस.टी.एन.) पर ऑनलाइन तैयार किए जाएँगे।

(ङ) कर प्राधिकारियों से बिना किसी मुलाकात/सहायता के, करदाता इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपने किये गए प्रदायों का विवरण उपलब्ध कराएगा। प्राप्त किये गए प्रदायों के विवरण को, उनके सादृश्य प्रदायकर्ताओं द्वारा फाइल किए गए प्रदाय विवरण से स्वयं भर लिया जाएगा।

(च) आवक एवं जावक प्रदायों, आई.टी.सी. का लिया गया क्रेडिट, देय कर, भुगतान किए गए कर और अन्य निर्धारित विवरणियों का मासिक रिटर्न करदाता इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रस्तुत करेगा। कम्पोजीशन करदाता इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तिमाही रिटर्न फाइल करेगा। भूलवश/गलत प्रस्तुत किए गए ब्योरों को आगामी वर्ष की सितम्बर माह के रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख अथवा वार्षिक रिटर्न फाइल करने की वास्तविक तारीख में से, जो भी पहले हो, तक करदाता स्वयं संशोधित कर सकता है।

(छ) परस्पर मेल नहीं खाने वाले बीजकों के लिए इनपुट कर प्रत्यय का रिवर्सल एवं रिक्लेम करदाता से संपर्क किए बगैर जी.एस.टी.एन. पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाएगा। साथ ही साथ, यह इलेक्ट्रॉनिक पद्धति नकली बीजकों अथवा एक ही बीजक के आधार पर दुबारा इनपुट कर प्रत्यय लेने के प्रयास को रोकेगा।

(ज) करदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में लेखे एवं अन्य रिकार्ड रखने की अनुमति दी जाएगी।

5. इनपुट कर प्रत्यय (क्रेडिट)

करदाता को अपने विवरणी (रिटर्न) में, इनपुट पर भुगतान किए गए कर का स्व–निर्धारित क्रेडिट (इनपुट कर प्रत्यय) लेने की अनुमति है। करदाता नेगिटिव लिस्ट में विनिर्दिष्ट कुछ मदों के अलावा सभी माल और सेवाओं पर भुगतान किए गए कर का क्रेडिट ले सकता है और उनका उपयोग आउटपुट टैक्स के भुगतान के लिए कर सकता है। इनपुट पर भुगतान किए गए कर का क्रेडिट वहाँ लिया जा सकता है जहाँ इनपुटों का उपयोग करदाता अपने कारोबार के दौरान या उसे अग्रसर करने अथवा कर योग्य प्रदायों के लिए करता है। केन्द्र सरकार और अनेक राज्य सरकारों द्वारा कैपिटल गुड्स की पावती पर, एक से अधिक किश्तों में, इनपुट कर प्रत्यय की अनुमति देने के वर्तमान प्रावधानों के विपरीत जी एस टी प्रावधान पूरे इनपुट कर का एक बार प्रत्यय (क्रेडिट) लेने की अनुमति देते हैं। ऐसे इनपुट कर प्रत्यय को आगे जारी रखा जाएगा जिसका उपयोग नहीं किया जा सका है। ग्रुप कंपनियों के बीच सेवाओं पर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (आई.एस.डी.) की व्यवस्था के द्वारा इनपुट कर प्रत्यय के वितरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

6. धन वापसी (रिफंड)

ऑनलाइन धनवापसी का दावा प्रस्तुत करने की समय–सीमा को एक वर्ष से बढाकर दो वर्ष किया गया है। पूर्ण आवेदन की पावती के 60

दिन के भीतर धनवापसी की मंजूरी प्रदान की जाएगी। निर्धारित 60 दिन की अवधि के भीतर यदि धनवापसी की मंजूरी नहीं दी जाती हे तो उस पर ब्याज देय होगा। यदि धनवापसी का दावा दो लाख रूपये से कम राशि का है तो दावाकर्ता के लिए साक्ष्यगत प्रमाण, यह सिद्ध करने के लिए कि उसने किसी और व्यक्ति को यह कर भार स्थानांतरित नहीं किया है, प्रस्तुत करने की जरुरत नहीं होगी। केवल इस आशय का स्व–प्रमाणन ही पर्याप्त होगा। इनपुट कर प्रत्यय के धनवापसी की अनुमति निर्यात अथवा जहाँ इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (अर्थात जहाँ आउटपुट पर लगाए गए कर की दर, इनपुट पर लगाए गए कर की दर से कम है) के कारण क्रेडिट जमा हुआ है, के मामलों में होगी।

7. माँग (डिमांड्स)

कर विवादों के लिए सनसेट क्लॉज की एक नई अवधारणा को लागू किया गया है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि सामान्य मामलों में, वार्षिक रिटर्न फाइल करने के तीन वर्ष के भीतर अधिनिर्णयन आदेश जारी किया जाएगा और धोखा–धड़ी/जानबूझकर छिपाए गए तथ्यों के मामलों में वार्षिक रिटर्न फाइल करने की तारीख से पाँच वर्ष की समय सीमा के पहले अधिनिर्णयन आदेश जारी किया जाना है। सामान्य मामलों में, अधिनिर्णयन आदेश जारी करने की समय सीमा से तीन महीने पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा तथा धोखा–घड़ी/जानबूझकर छिपाए गए तथ्यों के मामलों में, अधिनिर्णयन आदेश जारी करने की समय सीमा से छह महीने पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। यदि लेखा–परीक्षा/जाँच पड़ताल के दौरान कम जमा किए गए कर/नहीं जमा किए गए कर को ब्याज सहित जमा करा दिया जाता है तो दण्ड शून्य अथवा काफी कम होगा।

8. वैकल्पिक विवाद समाधान योजना–अग्रिम विनिर्णय

जीएसटी कानून के अंतर्गत अग्रिम विनिर्णय (एडवांस रुलिंग) के

प्रावधान को जारी रखा गया है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएँ निम्नवत हैं:–

(क) वर्तमान में जितने विषयों में, अग्रिम विनिर्णय (एडवांस रुलिंग) लेने का प्रावधान है, जी एस टी में उनसे अधिक विषयों में, एडवांस रुलिंग प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। इनमे शामिल विषय हैं:– वस्तुओं/सेवाओं का वर्गीकरण, प्रदाय का समय एवं मूल्य, कर की दर, इनपुट कर क्रेडिट की स्वीकार्यता, कर भुगतान की देयता, रजिस्ट्रेशन लेने की देयता और क्या कोई खास लेन–देन जी.एस.टी. कानून के अंतर्गत प्रदाय के समतुल्य है।

(ख) अग्रिम विनिर्णय (एडवांस रुलिंग) लेने का प्रावधान केवल नए कार्यकलापो के लिए ही नहीं है बल्कि यह सुविधा माल और सेवा कर में जारी कार्यकलापों के लिए भी है। जी.एस.टी. कानून के अंतर्गत अपील की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है जो अभी केन्द्रीय कानून के अंतर्गत उपलब्ध नहीं है।

(ग) आवेदनकर्ता अथवा राजस्व विभाग यदि अग्रिम विनिर्णय (एडवांस रुलिंग) से व्यथित है तो अब से उन्हें एडवांस रूलिंग के रिविजन के लिए अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने का मौका मिलेगा। अग्रिम विनिर्णय को पहले की तुलना में, अधिक सरलता से हासिल किया जा सकेगा, क्योंकि प्रत्येक राज्य में एक अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण और अपील प्राधिकरण होगा।

9. माल और सेवा कर के अन्य प्रावधान

माल और सेवा कर के उल्लेखनीय प्रावधान निम्नवत हैं:–

(i) संव्यवहार मूल्य (ट्रान्जैक्शन वैल्यू) अर्थात बीजक मूल्य, जोकि केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क कानून के अंतर्गत वर्तमान व्यवस्था है, के आधार पर वस्तुओं के प्रदाय का मूल्य निर्धारित

किया जाएगा। करदाताओं को इस बात की अनुमति दी गई है की वे पहले की गई प्रदायों के संबंध में अनुपूरक अथवा संशोधित बीजक जारी करें।

(ii) कर का भुगतान करने के लिए नए तरीकों, जैसे कि क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (नेफ्ट) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आर.टी.जी.एस.), को माल और सेवा कर व्यवस्था में समाविष्ट किया गया है।

(iii) ई–कॉमर्स कम्पनियों से यह अपेक्षित है कि फुल्फिल्मेंट मॉडल के अंतर्गत अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से की गई प्रदायों पर वे स्रोत पर ही सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर कर संग्रहण करें।

(iv) जीएसटी कानून में एक मुनाफाखोरी–रोधी प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए समाविष्ट किया गया है कि कर दरों में किसी भी कमी के परिणामस्वरूप ऐसी वस्तुओं/सेवाओं की कीमतों में उसी अनुरूप कमी आनी चाहिए।

10. आईटी तैयारी

माल और सेवा कर के कार्यान्वयन के लिए एक सशक्त आईटी नेटवर्क होना नितांत आवश्यक है। जीएसटी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) नामक एक विशेष प्रयोजन संस्था स्थापित की गई है। जीएसटी के कार्यान्वयन हेतु जीएसटीएन केंद्र और राज्य सरकारों, करदाताओं और अन्य हितधारकों को एक साझा आईटी बुनियादी ढांचा और सेवाएँ उपलब्ध कराएगा। जीएसटीएन के कार्यों में, अन्य कार्यों के साथ–साथ, निम्नलिखित भी शामिल हैं: (i) पंजीकरण को सुविधाजनक बनाना; (ii) विवरणियों को केंद्रीय एवं राज्य प्राधिकारियों को अग्रेषित करना; (iii) आईजीएसटी संबंधी अभिकलन एवं अदायगी; (iv) बैंकिंग नेटवर्क से कर भुगतान के विवरणों का मिलान; (v) करदाता की विवरणियों के आधार पर केंद्रीय एवं राज्य सरकारों को विभिन्न

एमआईएस रिपोर्ट उपलब्ध कराना; (vi) करदाताओं के प्रोफाइल का विश्लेषण उपलब्ध कराना; एवं (vii) इनपुट टैक्स क्रेडिट के मिलान, रिवर्सल और रिक्लेम के लिए मैचिंग इंजन चलाना। माल और सेवा कर लागू करने की लक्ष्य तिथि 1 जुलाई, 2017 है।

जीएसटीएन छोटे व्यापारियों के लिए एक मानक सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध कराएगा जिसमें वो अपने खाते रख सकेगें, तथा वे उसके माध्यम से जीएसटीएन की वेबसाइट पर अपनी मासिक विवरणियाँ में तुरंत अपलोड कर सकेंगे। इससे छोटे व्यापारियों के लिए कर का अनुपालन सरल हो जाएगा।

द्वारा तैयारः
राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क
एवं नारकोटिक्स अकादमी, फरीदाबाद
अप्रैल–2017